System officer

कार्यालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक / रिमाण्ड ड्यूटी / 2025 / 26 दिनांक :– 17/12/25

:: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **जनवरी, 2026 व फरवरी, 2026** की अवधि के लिए कॉलम संख्या 2 अंकित अवकाश की दिनांकों में संपूर्ण अजमेर न्यायक्षेत्र के लिए फौजदारी मामलों में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक प्रकृति के फौजदारी कार्यों की सुनवाई करने हेतु कॉलम संख्या–3 में अंकित पीठासीन अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है :–

क्रम संख्या	अवकाश की दिनांक	अधिकारी का नाम एवं पद
1	04.01.2026	श्रीमती कोमल भाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–04, अजमेर
2	10.01.2026 व 11.01.2026	श्रीमती बबीता वर्मा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर नगर दक्षिण, अजमेर
3	18.01.2026	श्रीमती कोमल भाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–04, अजमेर
4	24.01.2026, 25.01.2026 एवं 26.01.2026	श्रीमती हिमानी जैन, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट प्रकरण), संख्या–2, अजमेर
5	01.02.2026 व 08.02.2026	श्रीमती प्रतिभा सिंह राठौड, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) संख्या–1, अजमेर
6	14.02.2026 व 15.02.2026	श्री चार्विन बागमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट सख्या–01, अजमेर
7	22.02.2026	श्री विजेन्द्र कुमार मीणा, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट प्रकरण) संख्या–4, अजमेर
8	28.02.2026	श्रीमती पूर्णिमा शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–05, अजमेर

नोट :–

01 उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्यदिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी।

02 सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से समय 11:00 ए.एम. से 1:00 पी.एम. तक अपने न्यायालय में आवश्यक स्टाफ के साथ उपस्थित रहेंगे एवं शेष समय के लिए अपने निवास से उपरोक्त कार्य निष्पादित करेंगे।

(प्रकाश चन्द्र मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अजमेर 17/12/25